न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 253/2023 GCMS No.—2023/48

पूर्व दर्ज नंबर : 31/23

ग्राम पंचायत धोला जरिये पदेन सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धोला, पंचायत समिति व तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये उपतहसीलदार उप तहसील ताला, जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

............रेस्पाडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा न्यायालय उप तहसीलदार ताला दिनांक 19.04.2023 जिसके तहत पूर्व में तस्दीकशुदा नामान्तकरण संख्या 1239 दिनांक 06.12.2022 को पुर्नराविलोकित करते हुये निरस्त किया गया।

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश पारीक एवं आर.पी.शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29.11.2024

अपीलांट ने यह अपील उप तहसीलदार ताला के निर्णय दिनांक 17.04.2023 जिससे नामान्तरकरण संख्या 1239 वाके ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ ग्राम पंचायत धौला के नाम से अस्वीकृत किया गया जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 20.04.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्टस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1239 की प्रमाणित छायाप्रति के आधार पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। पत्रावली पर बहस उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि ग्राम राजस्व ग्राम धौला तहसील जमवारामगढ में स्थित खसरा नंबर 83 रकबा 0.8852 हैक्टर भूमि में से 0.58 है0 भूमि ग्राम पंचायत धौला को राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र अनुसार आवंटित की गई। पूर्व में उक्त भूमि किस्म बंजड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। ग्राम पंचायत द्वारा कोरम के समक्ष ग्राम की आबादी का विस्तार हो जाने के कारण सर्वसहमति से उक्त भूमि को आबादी में रूपान्तरण करवाने बाबत प्रस्ताव पारित किया था तथा समस्त कोरम द्वारा ग्राम पंचायत धौला द्वारा एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा उक्त भूमि को राजस्व ग्रुप 6 विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 30.09.2021 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अर्न्तगत आबादी विकास के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

लिये शर्तो व अनुबंध के अधीन आरक्षित की गयी। आरक्षित भूमि का उप तहसीलदार ताला द्वारा दिनांक 06.12.2022 को ग्राम पंचायत धौला के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया। तद्उपरान्त ग्राम पंचायत धौला द्वारा कानूनी प्रकिया के तहत जिन व्यक्तियों को जहाँ–जहाँ कब्जे थे उनकी रिपोर्ट लेकर एवं कोरम के संकल्प के आधार पर आबादी भूमि के पट्टे जारी कर दिये गये। वर्तमान में उक्त आबादी भूमि पर ग्राम धौला के निवासी अपनी–अपनी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज व आबाद है लेकिन इसके पश्चात उपतहसीलदार, तहसीलदार, व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ राजनैतिक दबाव में आकर अन्य सामाजिक तत्वों द्वारा दी गयी फर्जी एवं तथाकथित शिकायत के आधार पर बिना ग्राम पंचायत धौला व पट्टेधारियों को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त आबादी भूमि का पूर्व में तस्दीक शुदा नामान्तकरण संख्या 1239 पर पुर्नरावलोकन का कथन करते हुये दिनांक 19.04.2023 को अपीलाधीन आदेश निरस्त कर दिया गया गया जिसी जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2023 विधि की प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपील में वर्णित भूमि पर कब्जे के आधार पर ग्रामवासियों को पट्टे जारी कर दिये गये जिसका ग्राम पंचायत को मालिकाना हक अधिकार था। कानूनन एक बार नामान्तकरण दर्ज होने के पश्चात बिना किसी सुनवाई के, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बिना शिकायत पत्र के आधार पर प्रशासनिक केपेशिटी में आलौच्य आदेश पारित नहीं कर सकते इस आधार पर उक्त आलौच्य आदेश निरस्तनीय है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपतहसीलदार ताला ने किसी प्रकार की मौके की जांच इत्यादि नहीं की गयी जबकि ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विधिक प्रक्रिया अनुसार पट्टे जारी किये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपतहसीलदार ताला का आदेश दिनांक 19.04.2023 को अपास्त किया जाकर पूर्व में तस्दीकशुदा नामान्तकरण संख्या 1239 दिनांक 06.12.2022 बहाल रखे जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के निर्देश एवं तहसीलदार जमवारामगढ से प्राप्त मार्गदर्शन के आधार पर तथा भू राजस्व अधि. की धारा 102 (क) की पालना नहीं किये जाने के आधार पर खारिज किया गया है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, अपीलाधीन नामान्तकरण की छायाप्रति के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1239 उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 24.01.2022 द्वारा ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 83 रकबा 0.8852 में से 0.58 हैक्टेयर भूमि आबादी विस्तार हेतु

आरक्षित की गयी जिसके आधार पर बाबत खसरा नंबर 232/83 रकबा 0.58 हैक्टेयर दिनांक 06.12.2022 को उप तहसीलदार ताला द्वारा ग्राम पंचायत धौला के हक में नामान्तकरण स्वीकृत किया गया। जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने पुर्नरावलोकन आदेश दिनांक 17.04.2023 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 102 (क) की पालना नहीं किये जाने के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खारिज किया गया। प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा जरिये पत्रांक 4561 दिनांक 04.11.2024 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत धौला द्वारा आबादी भूमि में पट्टे जारी करना बताया गया एवं ग्रामीणों व पट्टाधारियों द्वारा उक्त प्रस्तावित आबादी भूमि पर काबिज होना जाहिर किया गया। वर्तमान में मौके पर प्रस्तावित भूमि में झोपडी व पिलर लगाकर तारबंदी पाई गयी। साथ ही उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा आदेश दिनांक 23.05.2023 द्वारा आरक्षित भूमि का आदेश दिनांक 24.01.2022 को प्रत्याहरित किया जाना जाहिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार ताला द्वारा उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 24.01.2022 की पालना में ग्राम पंचायत धौला के हक में रकबा 0.58 है0 किस्म गै.मु.आबादी तस्दीक कर दिया जिसके पश्चात ग्राम पंचायत धौला द्वारा आबादी भूमि में से पट्टे जारी कर दिये एवं उक्त पट्टो को रजिस्टर्ड भी उपतहसीलदार ताला द्वारा किया गया है जिसके पश्चात अपीलाधीन नामान्तकरण पुर्नविलोकन कर उपतहसीलदार ताला द्वारा आदेश दिनांक 17.04.2023 खारिज कर दिया गया इसी कारण प्रकरण में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.04.2023 द्वारा अपीलाधीन भूमि के संबंध में स्थगन आदेश जारी किया गया था। अपीलाधीन भूमि के संबंध में पट्टेधारी भी वर्तमान अस्तित्व में है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यांयालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व गौर नहीं किया गया। पत्रावली पर अपीलाधीन भूमि के संबंध में राजकीय विद्यालय का खेल मैदान होने का तथ्य भी सामने आया है किन्तु उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। अपीलांट द्वारा आरक्षित की गयी अपीलाधीन भूमि पर पट्टेधारियों का कब्जा होने का कथन किया है जो कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उचित प्रतीत होता है। उपतहसीलदार ताला द्वारा प्रकरण में ग्राम पंचायत धौला के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के पश्चात उसे निरस्त किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत धौला को किसी प्रकार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलांट द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार ताला का आदेश दिनांक 17.04.2023 बाबत नामान्तरकरण संख्या 1239 वाके ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ **(Remand)** प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में निहित प्रावधानो का पालन कर उपरोक्त तथ्यो की रोशनी में गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ, उपतहसीलदार ताला को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर